तारः ''शुगरफेड''
पीबीएक्सः 2612849 / 2615722 / 2201856
E-mail: upsugarfed@yahoo.co.in
फैक्सः 91–522–2627994 / 2201447
दूरभाषः 2628310 / 2263121
Website: www.upsugarfed.org

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड

9–ए, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ : 226 001

पत्र संख्या..........................यू0पी0एफ0/ दिनांक.................................

मुख्यालय स्तर पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्मिकों के नियोजन हेतु सूचना

संघ की विज्ञप्ति सं.–993/यूपीएफ/स्था./331/2022 दिनांक 17.10.2022 के द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ मुख्यालय के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित कराये जाने हेतु निम्नलिखित पदों पर सामान्यतः 03 वर्ष तक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियोजन किये जाने हेतु विज्ञापन इस समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया गया थाः–

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान	वॉछित अर्हता
1	सहायक विधि अधिकारी	रू0 9300–34800 ग्रेड पे 4600.00 वेतन मैट्रिक्स रू0 44900–142400	किसी सरकारी विभाग/संस्था/सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों में सहायक विधि अधिकारी अथवा समकक्ष स्तर पर समान वेतनमान में न्यूनतम 02 वर्ष कार्य का अनुभव।
2	लेखाकार	रू0 9300–34800 ग्रेड पे 4600.00 वेतन मैट्रिक्स रू0 44900–142400	किसी सरकारी विभाग/संस्था/सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में लेखाकार अथवा समकक्ष स्तर पर समान वेतनमान में कार्यरत।
3	सहायक लेखाकार	रू0 9300–34800 ग्रेड पे 4200.00 वेतन मैट्रिक्स रू0 35400–112400	किसी विभाग/संस्था/सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में सहायक लेखाकार अथवा समकक्ष स्तर पर समान वेतनमान में न्यूनतम 02 वर्ष कार्य का अनुभव।

इस संबंध में आवेदन पत्र का प्रारूप, दिशा–निर्देश, नियम व शर्तें संघ की Website: www.upsugarfed.org पर दिये लिंक पर उपलब्ध हैं। इच्छुक आवेदनकर्ता से आवेदन प्राप्त करने की तिथि दिनांक 11.11.2022 से बढ़ाते हुए दिनांक 26.11.2022 तक निर्धारित की जाती है। आवेदन प्राप्त करने के दिशा–निर्देश, नियम व शर्तें पूर्ववत् रहेंगी। आवेदन स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., 9–ए, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ–226001 के पते पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी अथवा समस्त आवेदनों को निरस्त करने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी को होगा।

प्रबन्ध निदेशक

<u>प्रतिनियुक्ति पदों पर नियम व शर्तें निम्नवत् प्रस्तावित हैं:–</u>

- पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घट–बढ़ सकती है।
- विज्ञापित पदों हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के अधिकारी/कर्मचारी जो निर्धारित वेतनमान एवं वेतन लेवल अथवा समतुल्य वेतनमान तथा वेतन स्तर अथवा इससे ठीक एक वेतन लेवल नीचे में अथवा समतुल्य वेतनमान में कार्यरत हों एवं आवेदन करने हेतु अहर्य हैं। प्रतिनियुक्ति पर चयन होने की स्थिति में मूल विभाग में प्राप्त वेतनमान एवं लेवल ही देय होगा।
- भारत सरकार/राज्य सरकार में कार्यरत शासकीय सेवक अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी उपक्रम अथवा परिषद के कार्यरत नियमित/स्थायी कर्मचारी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
- उक्त पदों में चयन के लिए विधि/वित्त/लेखा के कार्य में कम से कम 02 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। लेखा संवर्ग में टेली पैकेज की जानकारी रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी एवं विधि विषय/कार्मिक संबंधी मामलों की अतिरिक्त विशेष योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।
- अभ्यर्थी के अपने मूल विभाग में कार्यरत रहने पर ही उसका आवेदन स्वीकार किया जायेगा। प्रतिनियुक्ति पर पूर्व में कार्यरत अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- उपरोक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित विभाग में स्थायी पद पर कम से कम 05 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा अनिवार्य है, जिसका प्रमाण अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करना होगा।
- प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को उ.प्र. शासन द्वारा अपने राज्य अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए स्वीकृत दरों पर यात्रा भत्ता देय होगा। शेष भत्ते उनके मूल विभाग में प्राप्त भत्तों की दरों पर देय होंगे, परन्तु यदि उक्त कर्मचारियों के मूल नियुक्ति के विभाग द्वारा कोई ऐसा भत्ता दिया जाता है, जो राज्य सरकार में देय नहीं है तो संबंधित कर्मचारी को ऐसा भत्ता देय नहीं होगा।
- प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारी/कर्मचारी की सेवा अवधि सामान्यतः 03 वर्ष की होगी तथा विशेष परिस्थितियों में 05 वर्ष होगी, परन्तु किसी भी दशा में प्रतिनियुक्ति अवधि 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- साक्षात्कार के समय नियुक्ति प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित प्रतिनियुक्ति के पद की सेवा शर्तें लागू होंगी। प्रतिनियुक्ति अवधि में अधिकारी/कर्मचारी को उ.प्र. सरकार के प्रचलित शासनादेशों के अन्तर्गत अवकाश वेतन वहन किया जायेगा।
- जिस अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही/विभागीय कार्यवाही गतिमान है, अथवा जॉच में दोषी पाया गया हो, आवेदन हेतु अर्ह नहीं होंगे। संघ में प्रतिनियुक्ति अवधि में उक्त स्थिति ज्ञात होने पर संबंधित की प्रतिनियुक्ति की सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
- प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान किसी विभाग का संविलियन होने/रूग्ण अथवा बन्द इकाई मृत घोषित होने पर प्रतिनियुक्त अधिकारी/कर्मी की प्रतिनियुक्ति उसी दिन से स्वतः समाप्त हो जायेगी और उसके बाद उनका कोई दावा (Claim) स्वीकार्य नहीं होगा।
- जिन आवेदकों की अधिवर्षता आयु दिनांक 01.9.2022 को 05 वर्ष या 05 वर्ष से कम शेष रह गयी हो, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- यदि संबंधित कार्मिक के मूल विभाग में 7th Pay Commission की सिफारिशें लागू नहीं होंगी तो संघ कार्यालय द्वारा 7th Pay Commission की संस्तुतियों के अनुसार नये वेतनमान का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- इच्छुक अभ्यर्थी हिन्दी एवं अग्रेंजी बोलने एवं लिखने की उत्कृष्ट दक्षता, विधि/वित्तीय नियमों की जानकारी रखते हों तथा उन्हें कम्प्यूटर में कार्य करने का भी सम्यक् ज्ञान हो। साथ ही चीनी एवं गन्ना क्षेत्र में कार्य करने की अभिरूचि रखते हों।
- अभ्यर्थियों द्वारा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम अवश्य लिखा जाय।
- उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. में आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि...................... समय 5.00 बजे सायं तक है। स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट से प्राप्त आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। यह विज्ञप्ति उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की Website: www.upsugarfed.org पर भी उपलब्ध है।
- अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रपत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगाः–
- 1–पिछले 05 वर्षों की ए.सी.आर. की सत्यापित प्रतियॉ।
- 2–सतर्कता/अपराधिक प्रवृत्ति की कोई जॉच/वाद प्रचलित न होने के संबंध में विभागीय पुष्टि।

- 3–पिछले 05 वर्षों के दौरान अधिकारी पर लगाये गये बड़े या छोटे दण्ड यदि कोई है, का ब्यौरा देने वाला विवरण।
- 4–चिकित्सीय फिटनेस प्रमाण–पत्र।
- 5–अभ्यर्थी द्वारा वर्तमान में किसी यूनियन/संगठन में कोई पद धारित न किया हो, के संबंध में विभागीय पुष्टि।

उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि.,
9–ए राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

आवेदन पत्र का प्रारूप
प्रतिनियुक्ति हेतु

आवेदित पद का नामः ....
श्रेणी (अनु.जाति / अनु.जनजाति / अ.पि. / अनारक्षित / अन्य)..
1–प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अधिकारी का नाम ....
2–पिता का नाम ....
3–जन्मतिथि ....
4–वर्तमान सेवा में प्राप्त आरक्षण ....
5–पत्राचार का पताः ....

दूरभाष सं.: ....
मोबाइल नं.: ....
ई–मेलः ....
6–गृह जनपदः ....7–कम्प्यूटर ज्ञानः
....
एम.एस.आफिसः ....
अन्य साफ्टवेयर अनुभवः ....
8–शैक्षिक योग्यताः

परीक्षा का नाम	बोर्ड / वि.वि. का नाम	विषय	वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांक	प्रतिशत
हाईस्कूल						
इण्टरमीडिएट						
स्नातक						
परास्नातक						
व्यवसायिक योग्यता						

9–अन्य कोर्स : ....
10–प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अधिकारी के मूल ....
विभाग का नामः
11–संबंधित अधिकारी का वर्तमान पदः ....
मूल विभाग में वेतनमानः ....
माहवार वेतन का विवरण(अद्यतन): ....
मूल वेतनः ....
मँहगाई भत्ताः ....
मकान किरायाः ....
नगर प्रतिकर भत्ताः ....
एवं अन्य भत्तेः ....
कटौतियों का विवरण ....
1–
2–
3–
योगः–

12—शासकीय सेवा का कुल अनुभव(प्रारम्भ से वर्तमान तक)..

क्र.सं.	विभाग / संस्था का नाम	पदनाम	सेवा अवधि		वेतन / वेतनमान	कार्य प्रकृति
			कब से	कब तक		

(कम जगह होने पर अतिरिक्त पृष्ठ संलग्न कर सकते हैं)

अनुभवः

1—बाह्य सहायतित परियोजनायेंः ....

2—अन्यः ....

कुल वर्षः ....

(अन्य कोई विशिष्ट सूचना हेतु अतिरिक्त पृष्ठ संलग्न कर सकते हैं)

संलग्नकों का विवरणः—

1—.. 4—..

2—.. 5—..

3—.. 6—..

<u>संबंधित संस्था / कार्यालय के प्रयोग हेतु</u>

13—5 वर्षों की गोपनीय प्रविष्टियाँ

क्र.सं.	वर्ष	मूल्यांकन की श्रेणी	अन्य कोई टिप्पणी
1	2017—18		
2	2018—19		
3	2019—20		
4	2020—21		
5	2021—22		

13—सेवाकाल के दौरान प्रचलित विभागीय जॉच का विवरण यदि कोई हो तो—

क्र.सं.	जॉच का विवरण	जॉचोपरांत दण्डात्मक कार्यवाही की श्रेणी / विवरण	वर्तमान स्थिति

विभागाध्यक्ष / अधिकृत सक्षम अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर स्टाम्प सहित

अधिकारी का नाम—

पदनाम—

मोबाइल नं.—

ई—मेल—

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

नाम—

अधिकारी नाम—

पदनाम—

मोबाइल नं.—

ई—मेल—

- अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रपत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगाः–
- 1–पिछले 05 वर्षों की ए.सी.आर.(2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22) की सत्यापित प्रतियॉ।
- 2–सतर्कता/अपराधिक प्रवृत्ति की कोई जॉच/वाद प्रचलित न होने के संबंध में विभागीय पुष्टि।
- 3–पिछले 05 वर्षों के दौरान अधिकारी पर लगाये गये बड़े या छोटे दण्ड यदि कोई है, का ब्यौरा देने वाला विवरण।
- 4–चिकित्सीय फिटनेस प्रमाण–पत्र।
- 5–अभ्यर्थी द्वारा वर्तमान में किसी यूनियन/संगठन में कोई पद धारित न किया हो, के संबंध में विभागीय पुष्टि।
- 6–अभ्यर्थी द्वारा अपने सेवाकाल में किसी यूनियन/संगठन के पदाधिकारी का पद धारित न किया हो। इस सम्बन्ध में शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
- 7–सक्षम प्राधिकारी/नियुक्ति प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

मैं घोषणा करता/करती हूॅ कि आवेदन पत्र में दिये गये उपरोक्त समस्त विवरण मेरे संज्ञान में सही और पूर्ण हैं। यदि कोई सूचना असत्य एवं त्रुटिपूर्ण पायी जाती है तो मेरी अभ्यर्थना रद्द कर दी जाये।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
नाम–
अधिकारी नाम–
पदनाम–
मोबाइल नं.–
ई–मेल–